संख्या-756/2026/1900/22-2-2025-17(857)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 15 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लउवा पासी पुत्र श्री बाबू पासी, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लउवा पासी पुत्र श्री बाबू पासी, जो सिंहपुर, थाना-बेनीगंज, जनपद-हरदोई का निवासी है। दिनांक-28.10.2007 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण किया जिसमें से 01 व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-92/2008 में भा०द०वि० की धारा-364ए, 302/34, 201 व 2/3 यू०पी० गैगेस्टर एक्ट में मा0 अपर स्पेशल जज (गैगेंस्टर एक्ट) कोर्ट सं०-15, लखनऊ के आदेश दिनांक-23.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.02.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 09 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25/94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9 (2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, मृतक के परिवार से विरोध अंतिम रूप से समाप्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 28.10.2007 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण किया जिसमें से 01 व्यक्ति की गला दबाकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लउवा पासी पुत्र श्री बाबू पासी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लउवा पासी (बन्दी संख्या-28123) पुत्र श्री बाबू पासी, निवासी जनपद-हरदोई को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-756/2026/1900(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-756/2026/1900/22-2-2025-17(857)/2025

दिनांक: 15 जून, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी लउवा पासी पुत्र श्री बाबू पासी, जो सिंहपुर, थाना-बेनीगंज, जनपद-हरदोई का निवासी है। दिनांक-28.10.2007 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण किया जिसमें से 01 व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-92/2008 में भा०द०वि० की धारा-364ए, 302/34, 201 व 2/3 यू०पी० गैगेस्टर एक्ट में मा0 अपर स्पेशल जज (गैगैस्टर एक्ट) कोर्ट सं०-15, लखनऊ के आदेश दिनांक-23.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.02.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 09 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25/94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9 (2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, मृतक के परिवार से विरोध अंतिम रूप से समाप्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 28.10.2007 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण किया जिसमें से 01 व्यक्ति की गला दबाकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लउवा पासी पुत्र श्री बाबू पासी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।